

आरबीआई की दर कटौती से आम आदमी को राहत

रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का जो फैसला लिया है, वह सीधे तौर पर आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है। महंगाई के दबाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में कमी करके बैंकों को सस्ता कर्ज देने का रास्ता खोला है। इसका सबसे बड़ा असर होम लोन, ऑटो लोन और अन्य व्यक्तिगत कर्ज पर पड़ेगा। जो लोग नया कर्ज लेने की सोच रहे थे, उनके लिए यह अच्छी खबर है, लेकिन असली सवाल यह है कि जो लोग पहले से कर्ज चुका रहे हैं, उन्हें इसका लाभ कम और कैसे मिलेगा।

पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दरें लगातार बढ़ी थीं। महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई ने कई बार रेपो रेट बढ़ाया था। नतीजा यह हुआ कि बैंकों ने भी अपने कर्ज महंगे कर दिए। होम लोन की ईएमआई बढ़ गई और मध्यम वर्ग के बजट पर सीधा असर पड़ा। अब जब महंगाई धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रही है, तो आरबीआई ने दरों में कटौती करके अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया है। सस्ते कर्ज का मतलब है कि लोग घर खरीदने, गाड़ी लेने और कारोबार शुरू करने के लिए आगे आएंगे। इससे मांग बढ़ेगी और बाजार में रफ्तार आएगी।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। बैंकों की कार्यप्रणाली नई दरों को पुराने कर्जदारों तक पहुंचाने में समय लेती है। खासकर वे लोग, जो 2016 से पहले के बेंचमार्क सिस्टम से जुड़े हैं, उन्हें ब्याज दरों में कटौती का फायदा देर से मिलता है। आरबीआई ने इस विसंगति को दूर करने के लिए समय-समय पर नए नियम बनाए हैं और अब बैंकों पर दबाव है कि वे दर कटौती का लाभ तुरंत ग्राहकों तक पहुंचाएं। अगर बैंक ऐसा नहीं करते तो कर्जदारों को बैंक से बात करनी चाहिए या बैंलेंस ट्रांसफर का विकल्प देखना चाहिए।

इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ रियल एस्टेट क्षेत्र को हो सकता है। पिछले कुछ समय से घरों की बिक्री धीमी थी, क्योंकि ऊंची ब्याज दरों के कारण ईएमआई महंगी हो गई थी। अब होम लोन सस्ता होने से मध्यम वर्ग फिर से घर खरीदने के बारे में सोचेगा। इससे निर्माण उद्योग के साथ सीमेंट, स्टील और अन्य संबंधित उद्योगों को भी बल मिलेगा। इसी तरह ऑटो सेक्टर में भी मांग बढ़ने को उम्मीद है।

छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए भी यह राहत भरा कदम है। महंगे कर्ज के कारण कई उद्यमी विस्तार की योजना टाल रहे थे। अब कर्ज सस्ता होगा तो वे नई मशीनरी खरीद सकेंगे और कारोबार बढ़ा सकेंगे। इससे अर्थव्यवस्था के जमीनी स्तर पर मजबूती आएगी और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्ज देने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो।

एक और पहलू बचत का है। जब कर्ज की दरें घटती हैं तो बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज भी घट सकता है। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो अपनी बचत को बैंक में रखकर ब्याज पर निर्भर हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है। इसलिए सरकार और आरबीआई को संतुलन बनाना होगा, ताकि कर्जदारों को राहत मिले और बचतकर्ताओं को भी उचित रिटर्न मिलता रहे।

आम आदमी के लिए अब समय है अपने वित्तीय फैसलों की समीक्षा करने का। अगर आप होम लोन या अन्य कर्ज चुका रहे हैं तो बैंक से पूछें कि नई दरें आप पर कब लागू होंगी। आरबीआई की यह पहल अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में सकारात्मक कदम है, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब बैंक इसे ईमानदारी से लागू करें और आम आदमी जागरूक होकर अपने अधिकारों की मांग करे।

आजकल

संसद की निष्क्रियता का सत्र

संसद का मानसून सत्र चार मिनट में खत्म हो गया और इसके साथ ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की निष्क्रियता भी इतिहास में दर्ज हो गई। 20 जुलाई से शुरू हुआ यह सत्र 19 बैठकें चलना था, लेकिन केवल चार बैठकों में आंशिक काम हो सका। लोकसभा में केवल 15 प्रतिशत और राज्यसभा में 33 प्रतिशत काम हुआ। पीआरएस के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 22 वर्षों में किसी भी मानसून सत्र में इतना कम काम नहीं हुआ। 12 विधेयक पेश हुए, लेकिन केवल दो पर चर्चा हो सकी। बाकी विधेयक बिना बहस के पारित कर दिए गए। यह आंकड़ा बताता है कि जनता के मुद्दों पर बहस की जगह शोर और गतिरोध ने ले ली है।

इस सत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि अंतिम दिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत सभी बड़े नेता सदन में मौजूद थे। विपक्ष के नेता भी उपस्थित थे, लेकिन बैठक शुरू होते ही वंदेमातरम के बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा भी केवल एक घंटे चल पाई। सवाल है कि जब सभी प्रमुख चेहरे मौजूद थे तो चर्चा क्यों नहीं हुई? जवाब साफ है – दोनों पक्षों ने संवाद के बजाय टकराव को प्राथमिकता दी।

सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष हंगामा करके काम नहीं करने देता, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचती है। जनता के लिए ये तर्क मायने नहीं रखते। उसने सांसदों को बहस करने, कानून बनाने और सरकार से सवाल पूछने के लिए चुना है, न कि सदन को बंद करने के लिए।

संसद के कम चलने का असर सीधे जनता पर पड़ता है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे सदन में नहीं उठ पाते। विधेयकों की पर्याप्त समीक्षा नहीं हो पाती और कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कमजोर होता है।

इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता संवाद है। सरकार को विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा के लिए समय देना होगा और विपक्ष को भी सदन चलने देना होगा। संसद को चलाना सत्ता और विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब सदन में शोर नहीं, सार्थक बहस की आवाज गुंजे।



सी. पी. राधाकृष्णन

भारत के 80वें

स्वतंत्रता दिवस

समारोह के इस

महत्वपूर्ण अवसर पर

में प्रत्येक भारतवासी

को हार्दिक बधाई देता

हूं। साथ ही, मैं उन

सभी स्वतंत्रता

सेनानियों को सादर

नमन करता हूं,

जिन्होंने भारत की

स्वतंत्रता के लिए

अपना सर्वस्व

न्यौछावर कर दिया।

पिछले सप्ताह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान मुझे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा तिरंगा फहराए जाने की ऐतिहासिक स्मृति को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मेरे लिए अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण अनुभव था कि मैं उस पवित्र धरती पर खड़ा था, जहां श्री नेताजी की आज़ाद हिंद फ़ौज ने 30 दिसंबर 1943 को भारत की भूमि पर पहली बार तिरंगा फहराया था। इस अवसर ने मुझे सितंबर 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मदुरै यात्रा का भी स्मरण कराया, जब वे महान स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोन मुथुरामलिंग थेवर जी के निमंत्रण पर वहां पहुंचे थे। उस ऐतिहासिक क्षण ने क्षेत्र के असंख्य देशभक्तों के हृदय में स्वतंत्रता की अलख जगाई।

अंडमान स्थित राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल की मेरी यात्रा एक अन्य अत्यंत प्रेरणादायी क्षण रही। इसी जेल में भारत माता के महान सपुत्र श्री वीर सावरकर जी, श्री योगेंद्र शुक्ल जी, श्री बटुकेश्वर दत्त जी, श्री सचिंद्र नाथ सान्याल जी और अनेक अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा कैद कर एकांत कारावास में रखा गया था। आज भी राष्ट्रीय स्मारक की ये दीवारें उन वीरों के साहस, उन्हें दी गई यातनाओं और सर्वोच्च बलिदान की गाथाएं सुनाती प्रतीत होती हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। इस यात्रा ने मुझे उन सभी राष्ट्रनायकों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप यह लेख लिखने को प्रेरित किया, जिन्होंने करोड़ों लोगों के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की और राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाया।

9 अगस्त को, जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति मना रहे थे, मुझे अंडमान द्वीप समूह में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए राष्ट्र को करो या मरो का ओजस्वी नारा दिया था। इस आह्वान के परिणामस्वरूप पूरे देश में आजादी प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा व्याप्त हो गई।

आज हमें उसी स्वतंत्रता सेनानी पीढ़ी के कारण स्वतंत्रता की हवा में सांस लेने और लोकातंत्रिक

1950 से 2020 तक भारत में उमस भरी गर्मी से प्राकृतिक आपदा

भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहां गर्मी हमेशा से जीवन का हिस्सा रही है, लेकिन अब गर्मी का चरित्र बदल गया है। अब सिर्फ तापमान नहीं बढ़ रहा, बल्कि हवा में नमी भी बढ़ रही है, जिसके कारण उमस भरी गर्मी का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 1950 से 2020 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इस 70 साल की अवधि में भारत में उमस भरी गर्मी का बोझ लगभग आधा बढ़ गया है। यह आंकड़ा चिंताजनक है, क्योंकि इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य, कृषि और श्रम उत्पादकता पर पड़ रहा है।

इस अध्ययन में वेट बल्व ग्लोब टेम्परेचर को आधार बनाया गया है, जिसे आम भाषा में हीट इंडेक्स भी कहा जाता है। यह सिर्फ तापमान नहीं मापता, बल्कि हवा में नमी, धूप और हवा के असर को मिलाकर यह बताता है कि इंसान को बाहर कितनी गर्मी महसूस हो रही है। शोधकर्ताओं के अनुसार, जब वेट बल्व तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो इंसान के शरीर के लिए वह स्थिति खतरनाक हो जाती है, क्योंकि पसीने के जरिए शरीर अपना तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता और हीट स्ट्रोक, हृदयघात और थकान का खतरा बढ़ जाता है।

1950 से 2020 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में ऐसे दिनों की संख्या लगातार बढ़ी है, जब वेट बल्व तापमान 33 डिग्री के पार गया। 1980 के दशक के बाद इस बढ़ोतरी में और तेजी आई है। इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल में बढ़ती नमी है। उत्तरी और पश्चिमी भारत, विशेषकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। इसके अलावा तटीय इलाके जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी समुद्र से आने वाली नमी के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है।

नईदुनिया

स्वतंत्र भारत के मशाल वाहक



व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक अधिकारों के साथ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त है, जिन्होंने अपने समय की औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया। उस समय देश के कोने-कोने में करोड़ों वीर स्वतंत्रता सेनानी अटूट समर्पण और त्याग के साथ इस संघर्ष में शामिल हुए तथा अनेक वीरों ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

स्वतंत्रता सेनानियों की गौरवागाथा स्वतंत्रता सेनानी चाहे उत्तर में कश्मीर से हों या दक्षिण में तमिलनाडु से, पश्चिम में गुजरात से हों या पूर्व में असम से—देश के सभी क्षेत्रों, वर्गों, आयु समूहों और लिंगों के लोगों ने भारत माता की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिरोध की अमर प्रतीक बर्नी रानी लक्ष्मीबाई जी का शौर्य, मंगल पांडे जी का साहस और बाल गंगाधर तिलक जी का वह निर्भीक उद्घोष—स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा—स्वतंत्रता की ओर बढ़ते राष्ट्र के प्रत्येक कदम को शक्ति प्रदान करता रहा।

इसी क्रम में वी. ओ. चिंदंबरम पिल्लै जी ने भारत का पहला स्वदेशी पोत-परिवहन उद्यम शुरू कर औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दी। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल रणभूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में भी लड़ा गया था।

भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी की क्रांतिकारी भावना ने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। वहीं रानी गैदिनस्यू जी की अमर्य भावना ने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध

जगाने के लिए देशबंधु युवा संघ की स्थापना की। कुमारन जी का दृढ़ विश्वास था कि सच्ची स्वतंत्रता तभी प्राप्त की जा सकती है, जब लोग औपनिवेशिक शासन के अन्याय के प्रति जागरूक हों और उसके विरुद्ध संघर्ष करने का साहस तथा स्पष्ट दृष्टि विकसित करें।

गांधीवादी सामाजिक सुधार के सिद्धांतों के प्रति समर्पित कुमारन जी ने मध्वनिषेध अभियान को भी सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। वे इसे सामाजिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की दिशा में आवश्यक कदम मानते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने ताड़ी की दुकानों के सामने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और लोगों को मध्यापन से दूर रहने तथा आत्म-अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित किया।

10 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुमारन जी ने एक जुलूस का नेतृत्व किया। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे वे कुछ साहसी साथियों के साथ आगे बढ़े और तिरुपुरुर की सड़कों पर वंदे मातरम् के जोशीले नारे गुंज उठे।

औपनिवेशिक शक्तियों ने इस समूह पर हमला कर दिया। वंदे मातरम् का उद्घोष करते हुए और राष्ट्रीय ध्वज को अपने शरीर से लगाए कुमारन जी के सिर पर गंभीर चोटें आईं और राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 27 वर्ष थी।

जब मैं तिरुपुरुर कुमारन जी की आयु का उल्लेख करता हूं, तो मुझे उन अनेक युवाओं की याद आती है, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। इनमें भगत सिंह जी (23 वर्ष), सुखदेव जी (23 वर्ष), राजगुरु जी (22 वर्ष), खुदीराम बोस जी (18 वर्ष), कनकलता बरुआ जी (18 वर्ष), अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जी (19 वर्ष), वंचिनाथन जी (25 वर्ष) और ऐसे अनेक युवा शामिल हैं। उन्होंने नश्वर जीवन त्याग कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया।

मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उस पहल की सराहना करता हूं, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन के उन गुप्तमान नायकों को देश के सामने लाया जा रहा है, जिनका योगदान लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में अपेक्षाकृत अनदेखा रहा। मैं सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इस ऐतिहासिक अवसर पर आइए, हम अपनी मातृभूमि के प्रति अपने दायित्वों पर चिंतन करें और अपनी प्रतिबद्धता पुनः दृढ़ करें। इस अमृतकाल में 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के स्वयं को समर्पित करें और राष्ट्र की प्रगति तथा समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करें।

यही उन वीर सपूतों के प्रति हमारी सबसे सच्ची और उचित श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने अटूट साहस के साथ संघर्ष किया और हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण उर्सर्ग किए।

जय हिंद!
भारत माता अमर रहे!
(लेखक भारत के उपराष्ट्रपति हैं।)

अस्पतालों में ठंडे पानी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए।
शमन यानी उत्पर्जन कम करना भी जरूरी है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना होगा। कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी, सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ाना होगा और परिवहन को बिजली से चलाना होगा। साथ ही खेती में भी बदलाव जरूरी है। धान की खेती से मोधेन निकलती है और सिंचाई से नमी बढ़ती है, इसलिए सूक्ष्म सिंचाई और कम पानी वाली फसलों को प्रोत्साहन देना होगा।

सरकार की भूमिका इसमें सबसे अहम है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य सरकारों को मिलकर हीट एक्शन प्लान बनाना होगा, जैसे गुजरात और ओडिशा ने बनाया है। इस प्लान में मौसम की पूर्व चेतावनी, अस्पतालों की तैयारी और कमजोर वर्गों तक राहत पहुंचाना शामिल होना चाहिए। साथ ही निर्माण नियमों में बदलाव करके घरों को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने वाले डिजाइन को बढ़ावा देना होगा।
समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पानी की बचत, पेड़ लगाना और ऊर्जा की बर्बादी रोकना अब सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं रही, यह जीवन रक्षा का सवाल है। अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों को ऐसी गर्मी झेलनी पड़ेगी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

1950 से 2020 तक का यह आंकड़ा एक चेतावनी है। भारत में उमस भरी गर्मी का बोझ आधा बढ़ चुका है और अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो यह बोझ दोगुना हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं है, यह आज की सच्चाई है और इससे लड़ने के लिए सरकार, समाज और व्यक्ति तीनों को एक साथ काम करना होगा। वरना भारत की गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक आपदा बन जाएगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

4000 साल पुरानी गुत्थी को सुलझाने के लिए सरकार ने घोषित किया 10 लाख डॉलर का इनाम

लगभग 4000 साल पुरानी

रिश्चों घाटी सभ्यता आज भी अपने रहस्यों के कारण दुनिया को हैरान कर रही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा जैसी जगहों से मिली ईंटों, मुहरों और बर्तनों पर उकेरे गए चिन्ह आज भी एक पहेली बन चुके हैं। यह सिंधु लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। दुनिया भर के भाषाविद, इतिहासकार और कंप्यूटर वैज्ञानिक दशकों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस लिपि का अर्थ आज तक नहीं समझा जा सका है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और सिंधु लिपि को डिकोड करने वाले को 10 लाख डॉलर यानी करीब 9 करोड़ 54 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

सिंधु सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यताओं में गिना जाता है। 1924 में जब इस सभ्यता की खोज हुई थी, तब से ही

विद्वानों को यहां मिली मुहरों पर बने चिन्हों ने आकर्षित किया। ये चिन्ह न तो पूरी तरह चित्र हैं और न ही आज की किसी ज्ञात भाषा से मेल खाते हैं। अनुमान है कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसमें करीब 400 से 600 अलग-अलग चिन्ह इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इन चिन्हों का आपस में क्या संबंध है, ये वाक्य कैसे बनते थे और यह किस भाषा को दर्शाते हैं, इसका कोई ठोस जवाब अब तक नहीं मिला है।

सिंधु लिपि को न पढ़ पाने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहली समस्या यह है कि इस लिपि में कोई द्विभाषी शिलालेख नहीं मिला है। जैसे रोसेटा स्टोन की मदद से मिस्र की चित्रलिपि पढ़ी गई थी, वैसे ही सिंधु लिपि के लिए कोई तुलना का आधार नहीं है। दूसरा कारण यह है कि अब तक मिले लेख बहुत छोटे हैं। ज्यादातर मुहरों पर चार से पांच चिन्ह ही हैं, जिससे भाषा



की व्याकरण और वाक्य संरचना समझना लगभग असंभव हो गया है। तीसरा कारण यह है कि इस लिपि से जुड़ा कोई जीवित साहित्य या लंबा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसलिए भाषाविदों के पास तुलना करने के लिए सामग्री ही नहीं है।

पिछले 100 वर्षों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काम किया है। कुछ लोगों ने इसे संस्कृत से जोड़ा, कुछ ने इसे द्रविड़ भाषा बताया तो कुछ ने इसे मुंडा भाषा परिवार की लिपि कहा। कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी पैटर्न खोजने

की कोशिश हुई है, लेकिन अब तक कोई भी दावा 99 प्रतिशत से ज्यादा सटीक साबित नहीं हो पाया है। अमेरिकी और यूरोपीय विश्वविद्यालयों में भी इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली है।

इसी कारण सरकार ने अब इनाम की घोषणा करके दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का ध्यान इस तरफ खींचा है। सरकार का मानना है कि अगर सिंधु लिपि पढ़ ली गई तो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझ जाएगी। इससे न सिर्फ सिंधु सभ्यता के व्यापार, धर्म, प्रशासन और सामाजिक जीवन के बारे में पता चलेगा, बल्कि यह भी साबित हो सकेगा कि भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी और समृद्ध है। अभी तक इतिहास को किताबों में सिंधु सभ्यता को बिना आवाज वाली सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि हम उसके लोग क्या सोचते थे और क्या लिखते थे, यह नहीं जान पाए हैं।

इस इनाम का असर पहले से ही दिखने लगा है। देश-विदेश के शोधार्थी और संस्थाएं फिर से अपने पुराने डेटा खंगालने में जुट गई हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक नए एल्गोरिदम बना रहे हैं और पुरातत्त्वविद नए उत्खनन की योजना बना रहे हैं। मध्यप्रदेश और गुजरात में चल रहे उत्खनन में भी अब इस बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं कोई लंबा शिलालेख या द्विभाषी लेख मिल जाके, जो इस कोड को तोड़ने में मदद कर सके।

जल्दबाजी में कोई गलत दावा न कर दिया जाए, क्योंकि सिंधु लिपि बहुत जटिल है और इसमें अनुमान की गुंजाइश बहुत कम है। अगर कोई व्यक्ति बिना पुख्ता प्रमाण के अर्थ बता देता है तो वह इतिहास को भ्रमित कर सकता है। इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनाम उसी को मिलेगा, जिसका डिकोडिंग वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित होगा और जिसे अंतरराष्ट्रीय

विद्वानों की समिति स्वीकार करेगी। सिंधु लिपि सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक पहचान का सवाल है। अगर यह लिपि पढ़ ली गई तो दुनिया को पता चलेगा कि 4000 साल पहले भी भारत में एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापारिक नेटवर्क और साहित्यिक परंपरा थी। यह उपलब्धि न सिर्फ इतिहास को नई दिशा देगी, बल्कि विश्वीय लेख मिल जाए, जो इस कोड को जानने की जिज्ञासा बढ़ाएगी।

10 लाख डॉलर का इनाम सिर्फ पैसे की बात नहीं है। यह एक राष्ट्रीय चुनौती है। यह हमारे अतीत को समझने और उसे दुनिया के सामने रखने का अवसर है। उम्मीद है कि किसी भारतीय या विदेशी विद्वान की मेहनत से यह पहेली सुलझेगी और सिंधु घाटी की खामोश मुहरें आखिरकार अपनी आवाज में बोलेंगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)